INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 6 | JULY - 2023

घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के विकास में जिला उद्योग केन्द्र की गतिविधियों का अध्ययन

श्रीमती महिमा शुक्ला[1] , डॉ. आर.के. शर्मा[2]
[1]शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राचार्य, इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.)

सारांश –

भारत में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक है 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान' जिसमें कुटीर उद्योग एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अभियान के तहत सरकार कृषि, हस्तशिल्प, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, आधुनिकीकरण, फूल विविधता, समुद्री खाद्य उत्पादन और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

मुख्य शब्द – विकास, जिला उद्योग केन्द्र, घरेलू एवं कुटीर उद्योग।

प्रस्तावना –

उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग सेवा संस्थान और लघु उद्योग विकास निगम से मिलकर विस्तृत संस्थागत संरचना एसएसआई को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। उद्यमियों, प्रबंधकों और श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी करता है। 1978 में, जिला उद्योग केंद्र (DIC) की योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्योगों के विकास के लिए एक "केंद्र बिंदु" प्रदान करना था। डीआईसी को पूर्व–निवेश और निवेश के बाद के चरणों में आवश्यक सभी सेवाएं और सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी छोटे पैमाने पर उद्यमियों को दी गई थी।

जिला उद्योग केंद्र (DIC) सामान्य रूप से बेरोजगार शिक्षित युवा उद्यमियों को आवश्यक सहायता सहित सहायता और क्रेडिट सुविधाओं, कच्चे माल, प्रशिक्षण, विपणन आदि का एक पैकेज प्रदान करते हैं। एक औद्योगिक संपदा कार्यक्रम 1955 से प्रचालन में है। एक औद्योगिक संपत्ति औद्योगिक उद्यमों की एक नियोजित क्लस्टरिंग है जो मांग के अग्रिम में मानक कारखाने भवनों की पेशकश करती है। यह सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे शेड, पानी, बिजली, संचार, परिवहन आदि प्रदान करता है। भारत में औद्योगिक सम्पदा की स्थापना छोटे पैमाने के उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, ताकि अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए शहरों और गाँवों में विकेंद्रीकृत विकास को प्राप्त करने के लिए और सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से संपदा परिसरों में छोटी व्यावसायिक इकाइयों को स्थानांतरित किया जा सके।

लघु उद्योग विकास भारत में औद्योगिक सम्पदा के कार्यक्रम और नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। भारत में 500 से अधिक औद्योगिक एस्टेट काम कर रहे हैं। एक आवंटन प्रणाली के माध्यम से दुर्लभ कच्चे माल वितरित किए जाते हैं। छोटे उद्योगों को दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य लघु

उद्योग निगम को प्रत्येक राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित वितरण केंद्रों के माध्यम से इन सामग्रियों के वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एक सामान्य प्रकृति की इन सहायता योजनाओं के अलावा, सरकार ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं जैसे छोटे ग्रामीण उद्यमों में फैलाव की सहायता के लिए कुछ विशेष परियोजनाएँ (क्षेत्र विकास योजनाओं सहित) को भी लागू किया है, जैसे ग्रामीण उद्योग परियोजनाएँ जो गाँव के विकास के उपक्रम के साथ निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थीं । हर उत्पादन गतिविधि को वित्त की आवश्यकता होती है। छोटे उत्पादकों के मामले में, ऋण की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष आवश्यकता है क्योंकि ये उत्पादकों द्वारा खुद को कम किया जा सकता है। छोटे उद्योगों को अपने परिचालन के छोटे आकार के कारण ऋण उठाना मुश्किल लगता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक नीति छोटे उद्यमों को वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मानती है।

आरबीआई सहकारी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से हथकरघा और अन्य पारंपरिक उद्योगों के लिए वित्त भी प्रदान करता है। हाल के वर्षों में, कारीगरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणों का एक हिस्सा ब्याज दरों के अंतरगत दरों के तहत मिलता है। उदार शर्तों के तहत लघु और कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए समय–समय पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इस प्रकार सरकार भारत ने लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत ऋण की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से एक क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की।

विश्लेषण –

भारत देश में उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय की वृद्धि में घरेलू एवं कुटीर उद्योगों का बहुत अधिक महत्व है। घरेलू एवं कुटीर उद्योग परम्परागत उद्योग के अन्तर्गत आता है। इसमें बहुत कम पूंजी व्यय होती है और घर के पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। घरेलू व कुटीर उद्योगों के विकास में जिला उद्योग केन्द्र की निम्नांकित गतिविधियां क्रमशः इस प्रकार है –

- **उद्योग गतिविधियां –**

फ्लोर मिल, मिनी राइस मिल, दाल मिल, आयल मिल, बेसन मिल, पोहा, मुरमुरा निर्माण, डेयरी उत्पादन के अन्तर्गत मक्खन, घी व पनीर, सोया मिल्क, सोया पनीर, सोयाबड़ी, जेम, जेली, पापड़ निर्माण, ब्रेड, टोस्ट, बिस्कुट, नमकीन निर्माण, सेवइयां निर्माण, मीठा, रसगुल्ला, मेकेनाइज्ड सोन पापड़ी निर्माण, टमाटर केचप, पैकेज्ड पेयजल (बोतल बंद), फार्मा उद्योग, आयुर्वेदिक दवाइयाँ निर्माण, लिक्विड एवं पावडर हर्बल, कास्मेटिक्स तेल, क्रीम, पाउडर इत्यादि। मसाला निर्माण एवं पैकिंग, गत्ते के डिब्बे, मीठा पैकिंग डिब्बे, हौजरी निर्माण, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, सिलाई कार्य, जॉब वर्क सभी प्रकार के फर्नीचर, घरेलू फर्नीचर (सोफा, डायनिंग, ड्रेसिंग, दीवान, पलंग इत्यादि बाक्स थैली निर्माण) कैरी बैग्स, स्कूल बैग्स, इलेक्ट्रिक फैन, टेबिल फैन, सीलिंग फैन, कूलर, आलमारी, रैक्स का निर्माण, स्टेशनरी निर्माण अभ्यास पुस्तिका, आफसेट प्रिंटिंग कार्य, जाब वर्क। ईंट निर्माण मिनरल प्रोसेसिंग, स्टोन कटिंग एवं पालिसिंग, स्टोन क्रेशर मिनरल कैल्सिनेशन, फायर ब्रिक्स निर्माण, पेवर ब्लाक्स।

हालो ब्रिक्स निर्माण, फ्लाई विश ब्रिक्स निर्माण, आर.सी.सी., हयूम पाइप केसिंग, पोल्स बारवेट वायर, कील विरंची, निर्माण, इंजीनियरिंग वर्कशाप, स्टील फैब्रिकेशन, ग्रील, चौखट, दरवाजा, रेलिंग निर्माण, बेल्डिंग जाब वर्क, शटर निर्माण रंग पेन्ट, वार्निश, निर्माण डिस्टेमपर स्मोसेम, व्हाइट क्ले पावडर, सभी प्रकार के टाईल्स, सभी प्रकार के प्लास्टिक सामान बैग्स, खिलौने, एवं घरेलू उपयोग 20 माइक्रान से अधिक मैन्यूल्स के बने, ग्लास का कार्य (चश्मा निर्माण, ग्लास के खिलौने, इलेक्ट्रानिक्स, घड़ियां) एसेम्बलिंग बाल प्वाइंट पेन कृत्रिम, आभूषण निर्माण।

- **सेवा गतिविधियां –**

फोटोग्राफी, फोटोकापी, ऑफसेट प्रिंटिंग कार्य आटो/मोटर सायकल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स हाउसहोल रिपेयरिंग, भारी वाहन रिपेयरिंग, टायर रिट्रेरिंग एवं रिपेयरिंग, फर्नीचर रिपेयरिंग, टेन्ट हाउस विथ केटरिंग, रेस्टारेण्ट होटल, परिवहन, सेवा माल वाहन सेटरिंग एवं मिक्सर मशीन कार्य, पैथालाजी

लैब, क्लीनिक, फीजियो थेरेपी सेन्टर, ब्यूटी पार्लर, शैलून जेण्टस, ड्राइक्लीनर्स सेवा, प्लम्बर कार्य, हैण्डपम्प मैकेनिक, सीट कवर एवं रेग्जीन कार्य, मोबाइल रिपेयरिंग, जूस सेण्टर, काफी हाउस, आइसक्रीम, पार्लर, बारातघर, सिविल इंजीनियर एवं आर्कीटेक्स कन्सल्टेंसी, लीगल एवं फाइनेन्सियल कंसल्टेंसी कार्य, फास्ट फूड कार्नर, सायकल मरम्मत, कृषि उपकरणों की मरम्मत। वाहनों की सर्विसिंग एवं डेण्टिंग, पेन्टिंग, फ्लैक्स प्रिंटिंग।

- **व्यवसाय गतिविधियाँ –**

किराना जनरल स्टोर, वस्त्र व्यवसाय, रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय, बर्तन व्यवसय, हार्डवेयर एवं पेण्टस दुकान, प्लास्टिक सामान का व्यवसाय, फनीचर्स, धातु, प्लास्टिक एवं लकड़ी व्यवसाय, स्टेशनरी व्यवसाय, गल्ला व्यवसाय, रासायनिक एवं जैविक खाद विक्रय, बीज एवं कीटनाशक विक्रय व्यवसाय, कृषि उपकरण व्यवसाय, आटो पार्ट्स एवं मोटर पार्ट्स विक्रय, फल एवं सब्जी व्यवसाय, डेयरी व्यवसाय, मनिहारी व्यवसाय, शू स्टोर, आभूषण व्यवसाय, कांच के समान का विक्रय, चश्मा दुकान, दवाई दुकान, ल्यूब्रीकेटस विक्रय आटोमेटिव एवं इण्डस्ट्रियल रिक्शा, सायकल दुकान, टायर टयूब एवं स्पेयर पार्ट्स विक्रय इलेक्ट्रानिक्स दुकान।

घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के विकास में बाधक तत्वों का निदान –

भारत सरकार द्वारा देश को आजादी मिलने के बाद घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के विकास में हमेशा नवीनता एवं आधुनिकता की दृष्टिगत करते हुए नित नवीन तरीके अपनाने की कोशिश किया है। ताकि इन उद्योगों के विकास की स्थिति ने सुनिश्चिय ही उदासीनता और विभिन्न बाधक कारकों के साथ समन्वय करते हुए बेहतर परिणाम देने की प्रयास किया है। इस तरह सरकारी प्रयासों को प्रभावी बनने के अनुक्रम में प्रारम्भिक तौर पर स्वरोजगार की इच्छुक युवा पीढ़ी में नवीन तरह का आकांक्षाओं का प्रोत्साहन आवश्यक है ताकि सतना जिले में नवीन तरह का उद्यमीय वातावरण निर्मित किया जा सके। अतएव सरकारी प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नांकित प्रयास किया जाना चाहिए –

(1) सरकार के माध्यम से संचालित योजनाओं का एकीकरण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ किया जाना चाहिए, ताकि उद्यमीय प्रवृत्तियों को चारो ओर से प्रोत्साहन मिल सके।

(2) योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में लगातार पुर्नसमीक्षा कर उसे सम सामायिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(3) घरेलू एवं कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित सूचनाओं और कठिनाईयों का निवारण करने के लिए एक खिड़की प्रणाली की ओर अग्रसर होना ताकि इन योजनाओं के सम्बन्ध में लोगों की जिज्ञासा व कठिनाई इत्यादि को त्वरित निर्णय कर सुलझाया जा सके।

(4) प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा के पाठ्यक्रमों में घरेलू एवं कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित विषय वस्तु के अनुपात में वृद्धि करनी चाहिए जिससे प्रारम्भ से ही युवा पीढ़ी इस उद्यम के महत्व को समझ सके और इसे संचालित करने की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो सके।

(5) विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा इस तरह की योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार के उपाय किया जाना चाहिये ताकि ये सूचनाएं समाज के उद्यमी वर्गो तक पहुंच सके।

(6) नीति निर्धारण द्वारा ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करना चाहिए, जहां यातायात, संचार के साधन, कच्चे माल की पूर्ति, शक्ति के साधन इत्यादि मौजूद हो वहां स्थानीय निवासियों को उद्यमियों के महत्व को समझायी जा सके ताकि घरेलू एवं कुटीर उद्योगों को अपनाते हुए अग्रसर हो।

(7) सरकार को भिन्न–भिन्न अनुसंगिक संगठनों के क्षेत्र से सम्बन्धित योजनाबद्ध कार्यक्रमों का निर्माण कर प्रशिक्षण परामर्श एवं कार्यान्वयन का प्रयास करना चाहिए।

(8) योजना को लक्ष्य समूह तक पहुंचाने एवं कार्यान्वित होने में अधिक समय न लगे और अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हो सके। इसके लिए प्रत्येक सरकारी प्रयास के पीछे शोध एवं अनुसंधान की पृष्ठभूमि होनी चाहिए।

(9) घरेलू एवं कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित औद्योगिक, तकनीकी और व्यावसायिक केन्द्रों को विकेन्द्रीकरण कर आमजनों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष –

सही मायने में देखा जाए तो लघु एवं कुटीर उद्योग ही देश के विकास के लिए रीड की हड्डी का काम करते हैं। यदि देश की सरकार, लघु एवं कुटीर उद्योगों में आने वाली इन कठिनाइयों से निजात पाने का प्रयास पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ करे तो देश की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश इन्हीं आधारभूत उद्योगों के ज़रिए अपनी प्राचीन उपलब्धियों को पुनः हासिल करने में सक्षम हो सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग एक ऐसा मूलमंत्र है जिसके माध्यम से भारत अपनी अर्थव्यवस्था को अपार सफलता के चरम तक पहुंचा सकता है। भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि इन उद्योगों का विकास एवं विस्तार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि देश में बड़े उद्योगों का विकास करना। लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से, कम से कम साधनों की सहायता से छोटे से छोटे वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। चूंकि भारत का हृदय गावों में केन्द्रित है। इसलिए सर्वनिर्माण के लिए ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं विस्तार करना अनिवार्य हो जाता है। इससे कृषि पर जनसंख्या के दबाव को रोका जा सकता है। साथ ही अन्य विकसित राष्ट्रों की भांति प्रगतिशील अवस्था में पहुंचा जा सकता है।

संदर्भ –

1. Prof. V.C. Sinha and Dr. Puspa Sinha – Industrial Economics, Lok Bharati Prakashan, 15-A, Mahatma Gandhi Marg, Allahabad, year 1988
2. सिन्हा, डॉ. वी.सी. – औद्योगिक अर्थशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2002
3. सक्सेना, डॉ. आर.एन. – भारतीय समाज एवं संस्थाएं, किताब महल, वाराणसी, संस्करण 2002
4. कुमार, प्रमिला – औद्योगिक भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2005